national companies in the country's economy; and

(b) if so, what are the details thereof

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b) The basic framework of ■ our foreign investment policy is hid down in various documents, such as Industrial Policy Resolution etc. It is not an open door policy but is selective. It permits technical as well as financial collaboration. Within the broad framework of this po-. licy foreign collaborationjinvestmen will be allowed only in areas considered essential for development of the national economy.

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में पुस्तकालय को चलाने के लिये पर्याप्त धन न होना

338. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली को अपने पुस्तकालय को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है जिसके परिणामस्वरूप उस पुस्तकालय में कानून संबंधी कई पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और अनुसंधान करने वाले छात्रों और वकीलों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान इस संस्थान के कर्मचारियों के लिए अब तक लागू नहीं किए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सरकार भारतीय विधि संस्थान (इंडियन ला इंस्टीट्यूट) को उसके वार्षिक व्यय को भागत: पूरा करने के लिए वार्षिक सहायता अनुदान देती है । व्यय के शेष भाग को संस्थान अपने संसाधनों से पूरा करता है । इस सहायता अनुदान की कोई विनिर्दिष्ट रकम पुस्तकालय के लिए सुरक्षित नहीं की जाती है और यह बात संस्थान पर निर्भर करती है कि वह कितनी रकम पुस्तकालय पर व्यय करे । किन्तु, संस्थान के अनुरोध पर, सरकार ने संस्थान को उसके पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें खरीदने के लिए मार्च, 1987 में 2.00 लाख रुपए का अतिरिक्त सहायता, अनुदान मंजूर किया था ।

(ख) से (घ) भारतीय विधि संस्थान ने जानकारी दी है कि उन्होंने चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतनमान का पहले ही पुनरीक्षण कर दिया है ।

सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह संस्थान के संपूर्ण व्यय की सहायता अनुदान के रूप में पूरी करे । किन्तु सरकार ने पहले ही विनिश्चय कर लिया है कि संस्थान के कर्मचारियों के लिए चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संस्थान के बढ़े हुए व्यय को भागत: पूरा करने के लिए उसका वार्षिक सहायता अनुदान चालू वित्त वर्ष से 6.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया जाए ।

मैसर्स पहारपुर कूलिंग टावर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें

339. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स पहारपुर कूलिंग टावर प्राइवेट लिमिटेड, 13 जज्जेज कोर्ट रोड-कलकत्ता के खिलाफ आयकर चोरी तथा जाली खाते रखने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;